प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 17.04.2025

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी।

थाना गोला पुलिस द्वारा, 02 अंतर्राज्यीय अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करते हुए, चेन स्नैचिंग की घटना का किया गया सफल अनावरण। अपराधियों पर घोषित था 25-25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार

अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचा-कारतूस, नकदी आदि बरामद

लखीमपुर खीरी, 17 अप्रैल। पुलिस अधीक्षक खीरी, संकल्प शर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) खीरी, प्रकाश कुमार के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी गोला के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक गोला के नेतृत्व में थाना गोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 199/25 धारा 304(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए 25-25 हजार रुपये के इनामिया 02 अभियुक्त अर्पित गुप्ता व अभिषेक जौहरी उर्फ पंकज जौहरी को आज दिनांक-17.04.25 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध तमंचा-कारतूस व नकदी आदि बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिन पर विभिन्न जनपदों में लूट, चोरी के एक दर्जन से भी अधिक मुकदमें पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-अर्पित गुप्ता पुत्र स्व0 अजय गुप्ता उर्फ समलू निवासी मोहल्ला बाजार कस्बा व थाना पलिया जनपद खीरी

2-अभिषेक जौहरी उर्फ पंकज जौहरी पुत्र ओमप्रकाश जौहरी निवासी कृष्णा कॉलोनी हरिहर गंज थाना व जनपद फतेहपुर

बरामदगी का विवरण-

02 अवैध तमंचा 315 बोर

04 कारतूस 315 बोर

10,200 रुपये नकद

01 मोटरसाइकिल की मास्टर चाबी (Key)

पूछताछ के दौरान प्रकाश में आयें तथ्य-

1. पुणे मे गुलटेकरी के पास से मोटरसाइकिल चोरी करना (अपाचे ग्रे कलर)
2. चोरी की मोटरसाइकिल से पुणें मे 02 महिलाओं से चैन स्नेचिंग करना (मार्च 2025)
3. महाराष्ट्र के बीड़ जिला मे एक व्यक्ति की हत्या की 10 लाख रूपये की सुपारी लेना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 राजन कुमार (थाना गोला)

2-उ0नि0 मोहम्मद अनीस (थाना गोला)

3-ए0एस0आई शरद शुक्ला (सर्विलांस सेल)

4-का0 अनुज कुमार (थाना गोला)

5-का0 मोनू (थाना गोला)

6-का0 अरूण पाल (थाना गोला)

7-का0 अखण्ड मिश्रा (थाना गोला)

8-का0 अनुज यादव (थाना गोला)

9-का0 महताल (सर्विलांस सेल)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-अर्पित गुप्ता पुत्र स्व0 अजय गुप्ता उर्फ समलू

1. मु0अ0सं0 027/2017 धारा 392,411 भादवि थाना पलिया जिला खीरी
2. मु0अ0सं0 411/2021 धारा 3/25 आयुध अधि01959 थाना पलिया जिला खीरी
3. मु0अ0सं0 037/2022 धारा 25 (1B) आयुध अधि01959 थाना पलिया जिला खीरी
4. मु0अ0सं0 634 / 2023 धारा 379 भादवि थाना भीरा जिला खीरी
5. मु0अ0सं0 011/2024 धारा 379,411 भादवि थाना भीरा जिला खीरी
6. मु0अ0सं0 013/2024 धारा 379,411,413,414,419, 420 भादवि, 41 सीआरपीसी थाना भीरा जिला खीरी
7. मु0अ0सं0 004/2025 धारा 25 (18) आयुध अधि01959 थाना भीरा जिला खीरी
8. मु0अ0सं0 808/2024 धारा 303 (2) ,317 (2) थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
9. मु0अ0सं0 1252 / 2023 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
10. मु0अ0सं0 606/2021 धारा 323, 328, 376 - डी, 506 भादवि थाना गोला जिला खीरी
11. मु0अ0सं0 199/2025 धारा 304 (2) , 317(2), 317(5), 3(5) बीएनएस थाना गोला खीरी
12. मु0अ0स0 243/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोला खीरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अभिषेक जौहरी उर्फ पंकज जौहरी पुत्र ओमप्रकाश जौहरी

1. मु0अ0सं0 184/2017 धारा 3/25 आयुध अधि0 1959 थाना गंगाघाट जिला उन्नाव
2. मु0अ0सं0 596/2019 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
3. मु0अ0सं0 264/2019 धारा 399,402 भादवि थाना हरगांव जिला सीतापुर
4. मु0अ0सं0 266/2019 धारा 25 (1B) आयुध अधि01959 थाना हरगांव जिला सीतापुर
5. मु0अ0सं0 269 / 2019 धारा 411,414, 420, 467, 468 भादवि थाना हरगांव जिला सीतापुर
6. मु0अ0सं0 761/2021 धारा 392,411 भादवि थाना बर्रा जिला दक्षिणी (कानपुर नगर
7. मु0अ0सं0 944/2021 धारा 392,411 भादवि थाना कल्यानपुर जिला पश्चिमी (कानपुर नगर)
8. मु0अ0सं0 199/2025 धारा 304 (2) , 317(2), 317(5), 3(5) बीएनएस थाना गोला खीरी
9. मु0अ0स0 243/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोला खीरी

थाना कोतवाली सदर पुलिस व स्वॉट/सर्विलांस टीम द्वारा शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति से रंगदारी माँगने के मामले का सफल अनावरण करते हुये दो नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

लखीमपुर खीरी, 17 अप्रैल- पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत , अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर के कुशल नेतृत्व में , कोतवाली पुलिस व स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा आज दिनाँक 17.04.2025 को शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति से रंगदारी माँगने के मामले में थाना कोतवाली सदर खीरी पर पंजीकृत मु0अ0स0 326/2025 धारा 308(5) बीएनएस बनाम अज्ञात का सफल अनावरण करते हुये 02 नफर अभियुक्त हरप्रीत सिंह उर्फ टोनी व गुरजीत सिंह उर्फ जीता को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद अवैध तमंचा व 04 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

थाना कोतवाली सदर जिला खीरी के चोपड़ा हास्पिटल के डॉक्टर व वादिनी मुकदमा इन्द्रा चोपड़ा पत्नी वी0 के0 चोपड़ा मोहल्ला नौरंगाबाद थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी से अभियुक्तगण द्वारा जरिये दूरभाष व एक पत्र के माध्यम से 50 लाख रूपये की रंगदारी माँगना एवं जान से मारने की धमकी देने जैसे अपराध कारित करने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत मु0अ0स0 326/2025 धारा 308(5) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। अभियोग का सफल अनावरण करते हुये अभियोग से सम्बन्धित दुष्साहसिक व शातिर अपराधी 1.हरप्रीत सिंह उर्फ टोनी पुत्र श्री स्व0 सरदुल सिंह निवासी ग्राम पहाडनगर थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी 2.गुरजीत सिंह उर्फ जीता पुत्र जनरैल सिंह निवासी नकहा पिपरी थाना फरधान जिला खीरी को 1-1 अदद अवैध तमंचा व 2-2 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.हरप्रीत सिंह उर्फ टोनी पुत्र श्री स्व0 सरदुल सिंह निवासी ग्राम पहाडनगर थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी

2.गुरजीत सिंह उर्फ जीता पुत्र जनरैल सिंह निवासी नकहा पिपरी थाना फरधान जिला खीरी

बरामदगी का विवरण –

अभियुक्तगण के कब्जे से एक अदद तमंचा अवैध 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद तमंचा अवैध 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद होना ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण -

हरप्रीत सिंह उर्फ टोनी पुत्र श्री स्व0 सरदुल सिंह निवासी ग्राम पहाडनगर थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी

1.मु0अ0स0 590/2010 धारा 302/323/376/511 भादवि व 3(2)(v) sc/st थाना मैलानी जिला खीरी

2. मु0अ0स0 591/2010 धारा 27/30 आयुध अधिनियम थाना मैलानी जिला खीरी

3. मु0अ0स0 1227/2011 धारा 34/302 भादवि थाना मैलानी जिला खीरी

4.मु0अ0स0 83/2012 धारा 394/411 भादवि थाना खुदागंज जिला शाहजहाँपुर

5. मु0अ0सं0 0327/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

6. मु0अ0स0 326/2025 धारा 308(5) बीएनएस थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

गुरजीत सिंह उर्फ जीता पुत्र जनरैल सिंह निवासी नकहा पिपरी थाना फरधान जिला खीरी

1. मु0अ0सं0 0327/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

2. मु0अ0स0 326/2025 धारा 308(5) बीएनएस थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

गिरफ्तारी कर्ता टीम का विवरण –

1. निरीक्षक आलोक कुमार सिंह प्रभारी स्वाट टीम जिला खीरी
2. उ0नि0 बृजमोहन सैनी प्रभारी सर्विलांस सेल जिला खीरी
3.उ0नि0 पटेल सिंह राठी थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
4.उ0नि0 सुनील तिवारी थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
5. स0उ0नि0 शरद शुक्ला सर्विलांस सेल ।
6. हे0का0 सत्यप्रकाश स्वाट टीम
7.आरक्षी अंकेश कुमार थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
8.आरक्षी प्रतिपाल सिंह थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
9. आरक्षी श्री ओम मिश्रा स्वाट टीम ।
10.आरक्षी महताब आलम सर्विलांस सेल ।
11. आरक्षी विकास चौहान स्वाट टीम ।
12. आरक्षी गोल्डन स्वाट टीम ।
13. आरक्षी सिकन्दर स्वाट टीम ।
14.आरक्षी अरूण कुमार स्वाट टीम ।

कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, कब्जेदारी को लेकर गोली चलाने की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त संजय गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र गुप्ता को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेन्सी बन्दूक व खोखा कारतूस बरामद

लखीमपुर खीरी, 17 अप्रैल- पुलिस अधीक्षक खीरी, संकल्प शर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर के कुशल नेतृत्व में, कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनाँक 17.04.2025 को मु0अ0सं0-324/25 धारा 109(1)/352/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त संजय गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र गुप्ता को घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेन्सी बन्दूक व 02 खोखा कारतूस बरामद कर ग्राम बुढनापुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में कोतवाली सदर पर धारा-30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का विवरण-
दिनाँक 15.04.2025 को थाना कोतवाली सदर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सफीपुर के मजरा कटईपुरवा स्थित जमीन गाटा संख्या-371 करीब 19 मीटर चौडा चकमार्ग (रास्ता) है, जिसमें मौके पर वर्तमान में करीब 14 मीटर जमीन पर ग्रामवासी झोपडी, कच्चा मकान, पक्की सरकारी कॉलोनी बनाकर अवासित हैं तथा शेष करीब 05 मीटर चौडा कच्चा रास्ता है। उक्त विवादित चकमार्ग के पीछे गाटा संख्या-327 स्थित है। उपरोक्त गाटा संख्या-371 चकमार्ग (रास्ता) पर कब्जेदारी को लेकर लाइसेन्सी बन्दूक से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया था, जिसमें तरन्नुम, अहद, मंजू घायल हो गए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादी बब्लू उर्फ बग्गल पुत्र मुबारक नि0 कटुईपुरवा मजरा सफीपुर थाना कोतवाली सदर द्वारा दी गई तहरीरी सूचना बावत विपक्षीगण द्वारा गालिया देकर एवं जान से मारने की नीयत से मंजू पत्नी हजारी के ऊपर अपनी बन्दूक से फायर कर देने, जिससे वादी की पत्नी तरन्नुम एवं पुत्री जोया व पुत्र अहद के घायल हो जाने एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध मे दिया गया।

वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 15.04.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 324/2025 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिससे सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त संजय गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी मो0 शास्त्रीनगर थाना कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी को आज थाना पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त एक अदद बन्दूक लाइसेन्सी व 02 अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
संजय गुप्ता पुत्र वीरेन्द्र कुमार गुप्ता नि0 मोहल्ला शास्त्रीनगर कोतवाली सदर जनपद खीरी (उम्र लगभग 56 वर्ष)

बरामदगी-
उपरोक्त घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेन्सी बन्दूक 315 बोर व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर (शस्त्र लाइसेन्स नंबर-6140137072015/336140018710942015)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1-उ0नि0 दीपक तिवारी
2-हे0का0 अम्बरीष भट्ट
3-हे0का0 अनिल कुमार
4-का0 गौरव कुमार

थाना गोला पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त अभय गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक-17.04.25 को थाना गोला पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अभय गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता को 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद कर कोंधवा क्रासिंग रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना गोला पर मु0अ0सं0 244/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अभय गुप्ता पुत्र सुनील गुप्ता नि0 मोहल्ला मुन्नुगंज थाना गोला जनपद खीरी

बरामदगी-
01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर
02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1-उ0नि0 प्रशांत कुमार कोरी
2-हे0का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह
3-का0 रामभूल वर्मा
4-का0 बोबी कुमार

थाना उचौलिया पुलिस द्वारा, हत्या करने के प्रयास से सम्बन्धित अभियोग में वांछित 02 नफर अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड व लकड़ी का डण्डा बरामद कर गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 17.04.25 को थाना उचौलिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 84/25 धारा 191(2)/191(3)/190/190(1)/109(1)/117(2) बीएनएस में वांछित 02 नफर अभियुक्तों सकील उर्फ गुड्डू पुत्र कल्लू व कबीर पुत्र कदीर को चौहत्तर चौराहा वाले खडंजे मार्ग पर भट्टे वाली बगिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1-सकील उर्फ गुड्डू पुत्र कल्लू नि0 ग्राम सिसौरा नासिर थाना उचौलिया जनपद खीरी
2-कबीर पुत्र कदीर नि0 ग्राम सिसौरा नासिर थाना उचौलिया जनपद खीरी

बरामदगी-

01 अदद लोहे की रॉड व 01 अदद लकड़ी का डण्डा (दो भागों में टूटा हुआ)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 थाना उचौलिया, मनीष कुमार
2-उ0नि0 राम गौरव
3-हे0का0 अजयवीर सिंह
4-हे0का0 सुनील कुमार
5-का0 दिग्विजय

थाना पसगवां पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा-कारतूस बरामद कर अभियुक्त जोगिन्दर यादव पुत्र स्व0 महराज सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक-17.04.25 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त जोगिन्दर यादव पुत्र स्व0 महराज सिंह यादव को 01 अवैध तमंचा 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना पसगवां पर मु0अ0सं0 153/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
जोगिन्दर यादव पुत्र स्व0 महराज सिंह यादव निवासी ग्राम सुकरुद्दीनपुर मजरा दोहक थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी

बरामदगी-
01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर
01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त जोगिन्दर यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –
1.मु0अ0सं0 292/2002 धारा 307 भादवि थाना पसगवां जनपद खीरी
2.मु0अ0सं0 294/2002 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पसगवां जनपद खीरी
3.मु0अ0सं0 613/2006 धारा 325/323/504 भादवि थाना पसगवां जनपद खीरी
4.मु0अ0सं0 776/2006 धारा 307/325/504/506 भादवि थाना पसगवां जनपद खीरी
5.मु0अ0सं0 1521/2010 धारा 323/325/504/506 भादवि व 3(1)10 SC / ST एक्ट थाना पसगवां खीरी
6.मु0अ0सं0 153/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पसगवां जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1.उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह चौकी प्रभारी ताजपुर थाना पसगवां जनपद खीरी
2.हे0का0 गोपाल कृष्ण थाना पसगवां जनपद खीरी
3.हे0का0 अकील अहमद खान थाना पसगवां जनपद खीरी
4.का0 विष्णु कुमार थाना पसगवां जनपद खीरी
5.का0 पंकज कुमार थाना पसगवां जनपद खीरी

थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को ताश के पत्ते व कुल 600 रु0 सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध समाज विरोधी क्रियाकलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 17.04.2025 को थाना पसगवाँ पुलिस द्वारा 03 नफर अभि0गण को जुआ खेलते हुए ताश के पत्ते व कुल 600 रु0 नगद बरामद कर गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना पसगवाँ पर मु0अ0सं0 154/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विवरण गिरफ्तार अभि0गण -

1.जयलाल पुत्र चिन्ता निवासी मोहल्ला मोलवीगंज कस्बा बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी

2.सहीम पुत्र नसीम निवासी मोहल्ला मोलवीगंज कस्बा बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी

3.आसिफ पुत्र जहीर निवासी मोहल्ला मोलवीगंज कस्बा बरबर थाना पसगवां जनपद खीरी

बरामदगी माल-

अभियुक्तगणों के कब्जे से माल फड़ 370 रूपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से बरामदशुदा कुल 230 रु0, बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह चौकी प्रभारी बरवर थाना पसगवां जनपद खीरी
2.हे0का0 फिरोज खान थाना पसगवां जनपद खीरी
3.हे0का0 राकेश कुमार थाना पसगवां जनपद खीरी
4.का0 अभिषेक पाण्डेय थाना पसगवां जनपद खीरी
5.का0 राहुल सिंह थाना पसगवां जनपद खीरी
6.का0 टिन्कू कुमार थाना पसगवां जनपद खीरी

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा, वारंटी अभियुक्त कमलेश पुत्र कामता प्रसाद को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक-17.04.25 को थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा मु0सं0 6220/24 अ0सं0 183/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम में वारंटी अभियुक्त कमलेश पुत्र कामता प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.कमलेश पुत्र कामता प्रसाद निवासी भगवानपुर थाना मैगलगंज जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 प्रेमचन्द्र रावत थाना मैगलगंज जनपद खीरी,

2.का0 रविकान्त यादव थाना मैगलगंज जनपद खीरी।

थाना मैलानी पुलिस द्वारा, वांछित अभियुक्त खंजनलाल पुत्र रामभजन को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक-17.04.25 को थाना मैलानी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 140/25 धारा 60(2) EX ACT व 274 बीएनएस में वांछित अभियुक्त खंजनलाल पुत्र रामभजन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

खंजनलाल पुत्र रामभजन निवासी ग्रन्ट नं0 01 थाना मैलानी जनपद खीरी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हिमांशू सिंह थाना मैलानी जनपद खीरी
2. का0 दिनेश कुमार थाना मैलानी जनपद खीरी
3. का0 दीपक सोलंकी थाना मैलानी जनपद खीरी

<u>**थाना मझगई पुलिस द्वारा, 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया**</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक-17.04.25 को थाना मझगई पुलिस द्वारा मु0सं0 326/09 धारा 401 भादवि में वारंटी अभियुक्त 1.रामकिशुन पुत्र बेचे केवट व मु0सं0 19118/09 अ0सं0 231/02 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम में वारण्टी अभियुक्त कमलेश पुत्र गिरधारी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**</u>

1.रामकिशुन पुत्र बेचे केवट निवासी ग्राम बनघुसरी थाना मझगई जनपद खीरी
2.कमलेश पुत्र गिरधारी निवासी ग्राम बेला खुर्द थाना मझगई जनपद खीरी

<u>**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**</u>

1.उ0नि0 मो0 मुश्ताक थाना मझगई जनपद खीरी
2.हे0का0 मुकेश कुमार थाना मझगई जनपद खीरी
3.का0 कमल कुमार थाना मझगई जनपद खीरी

<u>थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा, मंदबुद्धि लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त किशन उर्फ केशन पुत्र रामनाथ को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक-17.04.25 को थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 325/2025 धारा 64(1)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त किशन उर्फ केशन पुत्र रामनाथ को रामापुर बाजार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वांछित अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>

1.किशन उर्फ केशन पुत्र रामनाथ प्रजापति उर्फ नत्थूराम नि0 पण्डितपुरवा रामापुर थाना कोतवाली सदर जनपद खीरी

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. निरीक्षक अपराध श्री हरिप्रकाश यादव थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
2. हे0का0 मो0 वकील थाना कोतवाली सदर जिला खीरी
3. का0 अंकुश कुमार थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही; विगत 24 घंटे में 96 लीटर अवैध शराब बरामद कर 11 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>96 लीटर</u>** अवैध कच्ची शराब बरामद कर **<u>11 नफर</u>** अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>11 अभियोग</u>** पंजीकृत किया गया।